



केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मु.)/  
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)  
18 संस्थागतक्षेत्र/18 Institutional Area,  
शहीदजीतसिंहमार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,  
नईदिल्ली – 110016/New Delhi -110016  
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570  
Email-pensionkvshq@gmail.com

फ. 110230(विविध)/2022-केविस(मु.)/पं. 2143

दिनांक. 10.03.2023

## नोटिस

**विषय: माह मार्च, 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।**

शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 20.02.2023 के पत्र सं० फा० 17-07/2022-UT.1 (INS-5) के साथ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 05.01.2023 का अर्द्धसरकारी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें पेंशनभोगियों की शिकायतों का निर्धारित नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार तुरंत निपटान करने के लिए माह मार्च 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत वीडियो कोन्फेरेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिये गए हैं।

इस संबंध में के०वि०सं० के सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO केविस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हों, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो 15.03.2023 तक ई-मेल आईडी [pensionadalatkvshq@gmail.com](mailto:pensionadalatkvshq@gmail.com) पर भेज सकते हैं। आवेदन में अपना नाम, पीपीओ संख्या, ईमेल आईडी एवं फोन/मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह (preferably on 23.03.2023) में इस कार्यालय द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। दिनांक 23.03.2023 को प्रातः 10 बजे से पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए लिंक है: <https://meet.google.com/spi-mcyj-bax>


नोट:- जिन पेंशनभोगियों को पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर संस्वीकृत की गई है, उनसे अनुरोध है कि वे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में ही अपने आवेदन दिनांक 15.03.2023 तक भेजें। सभी क्षेत्रीय कार्यालय इस संबंध में पेंशन अदालत का आयोजन मार्च के तीसरे सप्ताह (preferably on or before 24.03.2023) में करेंगे।

(सत्य नारायण गुलिया)

संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, (EDP) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०) नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि इस नोटिस को KVS Website पर जारी अपलोड करें।

  
संयुक्त आयुक्त (वित्त)